प्रतिभा विकास की दर 2% से 5% तक पहुंचाई जा सकती है और तब अपराध एवं शोषण की प्रवृत्तियों का प्रभावी पलायन, अपराध एवं मुकदमों से सामान्य व्यक्ति का छुटकारा और न्याय की सुलभता स्वालम्बन आदि आर्थिक-सामाजिक उन्नति के अकल्पनीय आयामों को प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरण के रूप में स्विट्जरलैण्ड, हालैण्ड, नार्वे, फिनलैंड की परिस्थितियां इस तरह के परिणामों का इशारा करती हैं। दूसरी तरफ पूरी प्रकृति में प्राणी जगत, पक्षी जगत एवं वनस्पति जगत इसके सटीक उदाहरण हैं।

मानव, व्यक्ति या प्राणी प्यार करने के लिये हैं और चीजें उपयोग करने के लिये। दिक्कत तब होती है जब हम मानव, व्यक्ति या प्राणी का उपयोग करने लगते हैं और वस्तुओं से प्यार।

उत्तराधिकार

पूरी प्रकृति में आनुवंशिक (Genetic) उत्तराधिकार के शाश्वत नियम के अलावा भौतिक या सांस्कृतिक उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं है। जो भी भौतिक, सांस्कृतिक या शैक्षिक सम्पदा या प्रतिभायें हम अर्जित करते हैं, वह भौतिक शरीर के साथ ही स्वतः विसर्जित हो जाती हैं। उनको प्राकृतिक या आनुवंशिक तौर से उत्तराधिकार के रूप में अगली पीढ़ियों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

उत्तराधिकार का नियम वृद्धावस्था में असहाय एवं पराश्रित हो जाने के भय से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो कालान्तर में शोषण का एक सशक्त औजार एवं संग्रह की प्रवृत्ति के रूप में स्थापित हो गया।

प्रकृति के शाश्वत नियमों के विपरीत, मानव समाज में उत्तराधिकार के नियम प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हैं और प्रकृति एवं मानव समाज की व्यवस्था में अधिकारों व सत्ता के दुरूपयोग के रूप में प्रतिकूल प्रभाव एवं असंतुलन पैदा करते हैं। परन्तु मानव प्रवृत्तियाँ - "भूख, निद्रा, भय, मैथुन एवं लालसा" मानव स्वभाव में महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, सामर्थ्य, उद्यमशीलता विकसित कर निर्माण और संग्रह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। प्रकृति में निर्माण, संग्रह और विसर्जन का संतुलन है परन्तु मानव स्वभाव में लालसा या संग्रह के प्रति अति आग्रह के कारण विसर्जन को अनावश्यक मानकर अति-संग्रह पर अत्यधिक बल केन्द्रित किया जाता है। 5000 वर्षो के व्यवस्थित प्रयासों और उत्तराधिकार के नियमों के वैधानिक स्वरूप के कारण आज धनार्जन एवं सम्पदा-संग्रह "श्रेष्ठता एवं योग्यता" का स्थापित मानदण्ड और व्यक्ति विकास एवं मानव जीवन का अंतिम घोषित लक्ष्य मान लिया गया है।

वास्तव में ये तर्कसंगत बाते नहीं हैं। कृपया निम्न तथ्यों के प्रकाश में स्वयं समीक्षा व आंकलन करें :

1. "श्रेष्ठता व योग्यता" : व्यक्ति का आकलन समृ), धन-सम्पदा के अलावा उसकी शिक्षा-विद्या, चरित्र, संस्कार, पुरूषार्थ, सामर्थ्य एवं क्षमताओं के आधार पर भी किया जाता है।

2. भौतिक धन-सम्पदा : पदार्थ या भौतिक पंचतत्व का रंग, रूप या दशा-परिवर्तन, स्थानान्तरण एवं हस्तान्तरण मात्र ही हो सकता है। मूल पदार्थ का अतिरिक्त उत्पादन या निर्माण संभव नहीं। तब यह कहना या सोचना निर्मूल है कि "निर्माण या धनार्जन के प्रति उपेक्षा या आसक्ति के अभाव में धन-सम्पत्ति एवं सम्पदा का निर्माण या संग्रह रूक जायेगा।"

3. अन्य जीव-योनियों में प्राकृतिक उत्तराधिकार के साथ मानव-योनि में उत्तराधिकार के नियम का तुलनात्मक अध्ययन : अन्य जीव-योनियों की सहायता के बगैर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। जब 84 लाख योनियों अर्थात् पेड़-पौधों, अनाज, फल-फूल, जीव-जन्तु, बैक्टेरिया, एन्जाइम; हवा-पानी के साथ सह-अस्तित्व के बिना हम अपना जीवन-चक्र पूरा कर ही नहीं सकते, तो हमें मानव समीक्षा एवं तुलनात्मक अध्ययन में 84 लाख अन्य योनियों से मानव योनियों को नापने-तौलने में संकोच नहीं करना चाहिये।

अतः जब मानव योनि के अलावा प्रकृति में किसी अन्य योनि में उत्तराधिकार की प्रवृत्ति का अभाव है तो यह स्वयंसिद्ध है कि मानव-योनि में उत्तराधिकार का नियम अप्राकृतिक एवं प्रतिकूल है।

यदि यह मान भी लिय जाये कि उत्तराधिकार के नियम के बिना लोगों में निर्माण व संग्रह की आसक्ति के अभाव में, उपेक्षा के कारण, धन-सम्पत्ति का निर्माण एवं संग्रह रूक जायेगा, तब निम्नांकित परिस्थितियां पैदा होंगी :

1. अति-धन-संग्रह रूक जायेगा और समानुपातिक अर्जन व वितरण की व्यवस्था की नई शुरूआत होगी। इस प्रकार